संख्या-679/2024/2430/24-27-सिं0-04/002-58(डब्ल्यू)/2008

प्रेषक,

अमित प्रणव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2024**

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-जी 156/आई0बी0/टी0 एण्ड पी0/2024-25, दिनांक 12.11.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष **2024-25** में लेखा शीर्षक **4700** मुख्य सिंचाई एवं **4701** मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि रू0 **4000.00** लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष धनराशि से टी0 एण्ड पी0 के कार्यों हेतु रू0 **1795.46** लाख (रूपये सत्रह करोड़ पनचान्वे लाख छियालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के स्तम्भ-2 एवं 3 के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	**संगठन का नाम**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**
4700-80-052-07-0703-12 (नवीन सम्पूर्ति)		
1.	सरयू परिरयोजना-2 गोण्डा	58.00
2.	गंगा, मेरठ	25.00
3.	परियोजना बेतवा, झांसी	22.00
4.	यमुना, ओखला	17.00
5.	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	3.00
6.	कनहर सिंचाई परियोजना, मीरजापुर	28.00
7.	पूर्वी गंगा, मुरादाबाद	14.00
8.	नलकूप मध्य, लखनऊ	1.00
9.	रामगंगा, कानपुर	58.00
10.	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

11.	शारदा, बरेली	8.00
12.	मध्यगंगा, अलीगढ़	6.00
13.	नलकूप, वाराणसी	2.00
14.	गण्डक, गोरखपुर	12.00
	कुल योग (4700-03-12)	**259.00**
4700-80-052-07-0703-26 (नवीन सम्पूर्ति)		
15.	नलकूप पूर्व, अयोध्या	30.00
16.	सरयू परियोजना-2 गोण्डा	17.00
17.	सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ	100.00
18.	पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	10.00
19.	नलकूप मध्य, लखनऊ	35.00
20.	बेतवा, झांसी	20.00
21.	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	10.00
22.	नलकूप दक्षिण, कानपुर	8.00
23.	शारदा, बरेली	12.00
	कुलयोग(4700-03-26)	**242.00**
4700-80-052-07-0704-12 (मरम्मत)		
24.	सरयू परियोजना-2, गोण्डा	21.00
25.	गंगा, मेरठ	13.46
26.	परियोजना बेतवा, झांसी	3.00
27.	सरयू परियोजना-प्रथम अयोध्या	5.00
28.	यमुना, ओखला	8.00
29.	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध,लखनऊ	3.00
30.	पूर्वी गंगा, मुरादाबाद	6.00
31.	बेतवा, झांसी	8.00
32.	मध्यगंगा, अलीगढ़	3.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

33.	शारदा, बरेली	3.00
34.	नलकूप, वाराणसी	2.00
35.	नलकूप दक्षिण, कानपुर	2.00
36.	शारदा, बरेली	4.00
	कुलयोग(4700-04-12)	**81.46**
4700-80-052-07-0704-26 (मरम्मत)		
37.	नलकूप पूर्व, अयोध्या	30.00
38.	सरयू परियोजना-2, गोण्डा	17.00
39.	नलकूप मध्य, लखनऊ	30.00
40.	रामगंगा, कानपुर	5.00
	कुलयोग(4700-04-26)	**82.00**
4700-80-052-07-0705-12 (गाडी भाड़ा)		
41.	गंगा, मेरठ	20.00
42.	परियोजना बेतवा, झांसी	10.00
43.	यमुना, ओखला	25.00
44.	कनहर सिंचाई परियोजना, मीरजापुर	27.00
45.	सरयू परियोजना-2, गोण्डा	67.00
46.	शारदा, बरेली	4.00
	कुलयोग(4700-05-12)	**153.00**
4700-80-052-07-0705-26 (गाडीभाड़ा)		
47.	शारदा, बरेली	21.00
48.	सरयू परियोजना-2, गोण्डा	33.00
49.	पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	15.00
50.	अनुश्रवण एवं समन्वय वाह्य सहायतित परियोजनायें, लखनऊ	6.00
51.	रामगंगा, कानपुर	28.00
52.	बेतवा, झांसी	18.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

53.	मध्यगंगा, अलीगढ़	3.00
54.	बाणसागर, प्रयागराज	10.00
55.	कनहर सिंचाई परियोजना, मीरजापुर	16.00
56.	नलकूप दक्षिण, कानपुर	2.00
	कुलयोग(4700-05-26)	**152.00**
	कुल योग 4700	**969.46**
4701-80-052-03-12 (नवीन सम्पूर्ति)		
57.	सरयू परियोजना-2, गोण्डा	25.00
58.	यमुना, ओखला	15.00
59.	परियोजना, बेतवा, झांसी	5.00
60.	नलकूप मध्य, लखनऊ	1.00
61.	पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	2.00
62.	बेतवा, झांसी	14.00
63.	रामगंगा, कानपुर	10.00
64.	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	2.00
65.	सोन, वाराणसी	5.00
	कुलयोग(4701-03-12)	**79.00**
4701-80-052-03-26 (नवीन सम्पूर्ति)		
66.	सरयू परियोजना-2 गोण्डा	28.00
67.	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0सं0) लखनऊ	27.50
68.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, लखनऊ	5.00
69.	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	7.50
70.	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	15.00
71.	नलकूप मध्य, लखनऊ	12.00
72.	रामगंगा, कानपुर	5.00
73.	नलकूप दक्षिण, कानपुर	15.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

74.	बेतवा, झांसी	25.00
75.	सोन, वाराणसी	9.00
	कुलयोग(4701-03-26)	**149.00**
4701-80-052-04-12 (मरम्मत)		
76.	सरयू परियोजना-2, गोण्डा	50.00
77.	सरयू परियोजना-प्रथम अयोध्या	2.00
78.	यमुना, ओखला	25.00
79.	परियोजना, बेतवा, झांसी	8.50
80.	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0सं0) लखनऊ	12.00
81.	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	10.00
	कुलयोग(4701-04-12)	**107.50**
4701-80-052-04-26 (मरम्मत)		
82.	सरयू परियोजना-2, गोण्डा	28.50
83.	सरयू परियोजना-प्रथम अयोध्या	20.00
84.	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	10.00
85.	नलकूप मध्य, लखनऊ	21.00
86.	नलकूप दक्षिण, कानपुर	66.00
	कुल योग (4701-04-26)	**145.50**
4701-80-052-05-12 (गाड़ी भाड़ा)		
87.	सरयू परियोजना-प्रथम अयोध्या	20.00
88.	सरयू परियोजना-2, गोण्डा	77.00
89.	बेतवा, झांसी	15.00
90.	सरयू नहरखण्ड-प्रथम अयोध्या	15.00
91.	यमुना, ओखला	35.00
92.	परियोजना, बेतवा, झांसी	10.00
93.	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	8.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

94.	रामगंगा, कानपुर	5.00
95.	सोन, वाराणसी	5.00
	कुल योग (4701-05-12)	**190.00**
4701-80-052-05-26 (गाड़ी भाड़ा)		
96.	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0सं0) लखनऊ	14.00
97.	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	5.00
98.	सरयू परियोजना-2, गोण्डा	105.00
99.	अनुश्रवण एवं समन्वय वाह्य सहायतित परियोजनायें, लखनऊ	9.00
100.	रामगंगा, कानपुर	4.00
101.	नलकूप दक्षिण, कानपुर	18.00
	कुलयोग(4701-05-26)	**155.00**
	योग (4701)	**826.00**
	कुलयोग (4700+4701)	**1795.46**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित संगठनों को स्तम्भ-3 के अनुसार टी0 एण्ड0 पी0 मद से अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0-8 प्रपत्र पर उपलब्ध कराते हुए आगामी मांग के प्रस्ताव के साथ उक्त धनराशि राजकोष से आहरित कर व्यय किये जाने का प्रमाण कोषवाणी सहित उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व सम्बन्धित संगठन के मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4700800520703 (नवीन सम्पूर्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520703 नवीन सम्पूर्ति	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,59,00,000 (रुपये दो करोड़ उनसठ लाख मात्र)
2	094	4700800520703 नवीन सम्पूर्ति	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,42,00,000 (रुपये दो करोड़ बयालीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कुल			**5,01,00,000** **(रुपये पाँच करोड़ एक लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4700800520704 (मरम्मत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520704 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	81,46,000 (रुपये इक्यासी लाख छियालीस हजार मात्र)
2	094	4700800520704 मरम्मत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	82,00,000 (रुपये बयासी लाख मात्र)
	कुल			**1,63,46,000** **(रुपये एक करोड़ तिरेसठ लाख छियालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4700800520705 (गाड़ी भाड़ा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520705 गाड़ी भाड़ा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,53,00,000 (रुपये एक करोड़ तिरेपन लाख मात्र)
2	094	4700800520705 गाड़ी भाड़ा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,52,00,000 (रुपये एक करोड़ बावन लाख मात्र)
	कुल			**3,05,00,000** **(रुपये तीन करोड़ पाँच लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520300 (नवीन सम्पूर्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520300 नवीन सम्पूर्ति	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	79,00,000 (रुपये उनासी लाख मात्र)
2	094	4701800520300 नवीन सम्पूर्ति	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,49,00,000 (रुपये एक करोड़ उनचास लाख मात्र)
	कुल			**2,28,00,000** **(रुपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520400 (मरम्मत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520400 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,07,50,000 (रुपये एक करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र)
2	094	4701800520400	26	1,45,50,000

http://shasanadesh.up.gov.in

		मरम्मत	मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	(रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**2,53,00,000** **(रुपये दो करोड़ तिरेपन लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520500 (गाडी भाडा)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	094	4701800520500 गाडी भाडा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,90,00,000 (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख मात्र)
2	094	4701800520500 गाडी भाडा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,55,00,000 (रुपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र)
	कुल			**3,45,00,000** **(रुपये तीन करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)**

महायोग	17,95,46,000 (रुपये सत्रह करोड़ पंचानबे लाख छियालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**1/2024/**बी-**1-294/**दस-**2024-231/2024,** दिनाँक-**04-**मार्च**, 2024** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अमित प्रणव)

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना/यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-2/ गंगा/ परियोजना बेतवा/ यमुना/ सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध/ कनहर सिंचाई परियोजना/ पूर्वी गंगा/ नलकूप मध्य/ रामगंगा/ शारदा/ मध्यगंगा/ नलकूप/ गण्डक/ नलकूप पूर्व/ सूचना प्रणाली संगठन/ बेतवा/ नलकूप दक्षिण/ सरयू परियोजना-प्रथम/ बाणसागर/ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन/ सोन/ अनुसंधान एवं नियोजन (ज0सं0)/ अग्रिम नियोजन/ अनुश्रवण एवं समन्वय वाह्य सहायतित परियोजनायें), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा/ मेरठ/ झांसी/ ओखला/लखनऊ/ मीरजापुर/मुरादाबाद/ कानपुर/ बरेली/ अलीगढ़/ वाराणसी/ गोरखपुर/ अयोध्या/ प्रयागराज।

6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वरिष्ठ/ मुख्य कोषाधिकारी, गोण्डा/ मेरठ/ झांसी/ ओखला/ लखनऊ/ मीरजापुर/ मुरादाबाद/ कानपुर/ बरेली/ अलीगढ़/ वाराणसी/ गोरखपुर/ अयोध्या/ प्रयागराज ।

8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

9- नियोजन अनुभाग-3

10- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

वी0 एन0 तिवारी

उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।